



भारत सरकार

Government of India खान मंत्रालय

Ministry of Mines भारतीय खान ब्यूरो Indian Bureau of Mines

Mine Code: 34RAJ27002

माखुपूरा औद्वोगिक क्षेत्र,

Makhupura Industrial Area अजमेर.-305 002 (राजस्थान)

Aimer- 305 002 (Rajasthan) फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165 Email-ro.ajmer@ibm.gov.in

दिनांक: 13.01.2021

संख्या : RAJ/UDP/LEAD ZINC-02/Vol-II

प्रेषित एजेंट.

सिन्देसर खुर्द लेड जिंक माइन, मैसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, पोस्ट-दरीबा, तहसील-रेलमगरा, जिला-राजसमन्द (राजस्थान)

Email- Vinod.Jangir@vedanta.co.in

Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Sindesar Khurd Lead Zinc Mine (Lease area 199.8425Hect.) in Rajsamand District of Rajasthan State.

महोदय.

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 15.12.2020 & 16.12.2020 by the undersigned in presence of Sh.

Rule No.	Nature of violation observed in detail				
11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modified				
	Mining Plan (Approved on 01.08.2019) for the year 2019-20: - (i)				
		No. of Bore Holes	Meterage	No. of Bore Holes	Meterage
	2019-20	800	85000	601	85555
	It shows that shortfall in nos. of bore holes.				
	(ii)				
	Year	Proposed UG Development(m)		Actual UG Development(m)	
	2019-20	34002		19869	
	It shows that shortfall in UG development.				
	(iii) During the year 2019-20, total 700m parapet wall & 700m garland drain proposed around the				
	dump periphery but only 200m parapet wall & 200m garland drain made.				
	Rule 26 (2)	A yearly report to be submitted before 1st July of every year setting forth the extent of protective and			
rehabilitation works carried out as envisaged in the approved progressive mine closure plan has no					
been submitted to this office for the year 2019-20.					
Rule 46(1)	Notice of appointment of agent has not been submitted in form H.				

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नही होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।

खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है। 03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना

इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

(डी. आर. वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :
1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा)

2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।

3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, राजसमन्द।

4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो